

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.11.2023

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त शत्रुधन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 23.11.2023 को थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ शौच के दौरान छेड़छाड़ की थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शत्रुधन यादव पुत्र धनयी यादव नि० बक्सरा आज्ञाराम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-631/23, धारा 354 भादवि 9एम/10 पॉक्सो ऐक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

02. मु०अ०सं०-633/23, धारा 504,506 भादवि थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व०उ०नि० प्रबोध कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.11.2023

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 25.11.2023 को थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त शिव प्रसाद दूबे उर्फ बब्लू दूबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादिनी को दिनांक 10.03.2023 गाटा सं०—14 का सम्पूर्ण रकबा बैनामा किया था तथा पुनः कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दिनांक 01.06.2023 को गाटा सं०—14 का बैनामा दूसरे व्यक्ति को कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शिव प्रसाद पुत्र रामउजागर नि० हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—908/23, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० राजेन्द्र कन्नौजिया मय टीम।